11.3.26	उभय पक्ष उप.। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरण 177 व 63 (V) R.T.A. निरस्त किया जा चुका है। इसलिए प्रा. पत्र 212 व 212(2) RTA उपरोक्त शून्य हो जाने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2025/497

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.03.12 19:46:09 IST
Reason: SelfAttested